

प्रेस-नोट

थाना बरुआसागर

दिनांक 27.02.2025

एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कार0 315 बोर के साथ एक अभि0 गिरफ्तार थाना

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद झाँसी द्वारा चलाये जा रहे अवैध शस्त्र बिक्री रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.02.2025 को थाना बरुआसागर पुलिस द्वारा अभियान के क्रम में मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान मंसिल माता ग्राउण्ड में महुवा के पेड के नीचे कस्बा व थाना बरुआसागर जिला झाँसी में दबिश देकर एक नफर अभि0-निन्दा कोरी उर्फ अशोक कोरी पुत्र बृजलाल कोरी निवासी देवलाल चौबे का अखाडा चौकी बडागांव गेट थाना कोतवाली जिला झाँसी उम्र करीब 39 वर्ष को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद कर गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना बरुआसागर पर अभि0 निन्दा कोरी उर्फ अशोक कोरी उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 47/2025 धारा 3/25 ए एक्ट अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

अदद अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज।

गिरफ्तारी अभि0 का नाम पता व आपराधिक इतिहास:-

निन्दा कोरी उर्फ अशोक कोरी पुत्र बृजलाल कोरी निवासी देवलाल चौबे का अखाडा चौकी बडागांव गेट थाना कोतवाली जिला झाँसी उम्र करीब 39 वर्ष।

- (1) मु0अ0सं0 66/21 धारा 41/411 भादवि थाना कोतवाली जिला झाँसी।
- (2) मु0अ0सं0 68/21 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली जिला झाँसी।
- (3) मु0अ0सं0 955/07 धारा 393/393/427 भादवि थाना नवाबाद जिला झाँसी।
- (4) मु0अ0सं0 47/25 धारा 3/25 ए एक्ट थाना बरुआसागर जिला झाँसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- 1.एसओ श्री शिवजीत सिंह थाना बरुआसागर जिला झाँसी।
- 2.उ0नि0 श्री रामकृपाल सिंह थाना बरुआसागर जिला झाँसी।
- 3.का0 1585 अजीत सिंह थाना बरुआसागर जिला झाँसी।